डाउनलोड

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) 64वीं मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र

वैकल्पिक विषय – विधि

Downloaded From: http://www.dhyeyaias.com

SECTION—I / खण्ड—I

PART—I / भाग—I

1. *(a)* Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy. 25

(b) How far are powers and privileges of the Parliament subjected to Fundamental Rights? Discuss with case law. 25

(क) निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए।

(ख) संसद की शक्तियाँ और विशेषाधिकार कहाँ तक मूल अधिकारों के अधीन होते हैं? निर्णीत वादों की सहायता से विवेचन कीजिए।

2. *(a)* What do you understand by the concept of freedom of speech and expression? Does it cover hate speech also? Discuss in the light of present prevailing situation in the country. 25

(b) "Fundamental Duties do not destroy Fundamental Rights but balance them." Examine by citing decided cases. 25

(क) आप 'वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य' संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है? देश में इस समय की स्थिति के आलोक में विवेचन कीजिए।

(Continued)

Downloaded From: http://www.dhyeyaias.com

(ख) "मूल कर्तव्य, मूल अधिकारों को नष्ट नहीं करते बल्कि उन्हें संतुलित करते हैं। इस कथन का परीक्षण विनीत बादों की सहायता से कीजिए।

3. Though the Federal Principle is dominant in our Constitution and that principle is one of its basic features, but it is equally true that federalism in the Indian Constitution leans in favour of a strong Centre, a feature that mitigates against the concept of strong federalism. Discuss. 50

यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और यह सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद सशक्त केन्द्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। चर्चा कीजिए।

PART—II

भाग—II

4. *(a)* "Modern International Law like all living laws is not static; it gathers dynamism and activity mending itself to the needs of the day." Critically discuss this statement. 25

(b) What are the main functions of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)? Explain different functional commissions attached to it. 25

Downloaded From: http://www.dhyeyaias.com

(क) "सभी जीवित विधियों की भाँति आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि भी गतिशील है तथा यह अपने को समय तथा परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की सदैव चेष्टा करती है।" इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

(ख) संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद् (ECOSOC) के प्रमुख प्रकार्य क्या है? इसके साथ संलग्न विभिन्न प्रबन्धकीय आयोगों को स्पष्ट कीजिए।

5. *(a)* Explain 'Extra-territorial asylum'. Under what circumstances can such asylum be validly granted? Explain. 25

(b) "Asylum stops, as it were, where extradition begins." Discuss. 25

(क) 'राजनैतिक शरण' को स्पष्ट कीजिए। किन परिस्थितियों में ऐसी शरण विधिसम्मत रूप से प्रदान की जा सकती है? स्पष्ट कीजिए।

(ख) "प्रत्यर्पण जहाँ से शुरू होता है वहीं शरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।" विवेचना कीजिए।

6. Discuss whether 'recognition of states' is an act of policy or of law. Also distinguish between the Constitutive and Declaratory theories on the recognition of states. 50

विवेचना कीजिए कि 'राज्यों की मान्यता' नीति का एक कृत्य है या विधि का। राज्यों की मान्यता के सृजनात्मक एवम् घोषणात्मक सिद्धान्तों में भेद भी बताइए।

Downloaded From: http://www.dhyeyaias.com

SECTION—II / खण्ड—II

PART—I / भाग—I

7. (a) "When a criminal act is done by several persons in furtherance of a common intention of all, each one of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone." Critically examine the 'Principle of joint liability' as enunciated under the above statement with the help of decided cases. Also point out the distinction between 'Common Intention' and 'Similar Intention'. 25

(b) Referring to relevant legal provisions and decided cases, point out what offence, if any, has been committed in the following cases, by giving valid reasons :

(i) *Z* strikes *B*. *B* by this provocation is excited to violent rage. *A*, a by-stander, intending to take advantage of *B*'s rage and to cause him kill *Z*, puts a knife into *B*'s hand for that purpose. *B* kills *Z* with that knife. 12½

(ii) *A* cuts down a tree on *B*'s ground with the intention of dishonestly taking the tree out of *B*'s possession without *B*'s consent. 12½

(Turn Over)

Downloaded From: http://www.dhyeyaias.com

(घ) "जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है।"

'संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त' जैसा कि यह उपरोक्त धारा में परिभाषित किया गया है, का आलोचनात्मक परीक्षण निर्णीत वादों की सहायता से कीजिए। 'सामान्य आशय' व 'समान आशय' में अन्तर भी बताइये।

(ङ) संबंधित विधिक उपबन्धों और विनिश्चित मामलों का संदर्भ देते हुए, पैरा प्रारूप देते हुए बताइये कि निम्नलिखित मामलों में कौन-सा अपराध किया गया है, यदि कोई हो तो :

(i) *B* पर *Z* आघात करता है। *B* को इस प्रकोपन से तीव्र गुस्सा आता है। *A*, जो निकट ही खड़ा हुआ है, *B* के क्रोध को शान्त करने और आगे *Z* का वध करने के आशय से *B* के हाथ में एक छुरी इस प्रयोजन के लिए दे देता है। *B* उस छुरी से *Z* का वध कर देता है।

(ii) *A* *B* की जमीन पर लगे पेड़ को *B* की सम्पत्ति के लिए और *B* के कब्जे से बेईमानी से ले जाने के आशय से, काट डालता है।

8. "The evil of dowry system has been a matter of serious concern to everyone in view of its ever-increasing and disturbing proportion." Discuss and critically analyse whether the Dowry Prohibition Act, 1961 has successfully coped with this social menace. 50

(Continued)

Downloaded From: http://www.dhyeyaias.com

"दहेज प्रथा की भूलें, उसकी क्रिमल वृद्धि और उसके आर्थिकतो अनुचान की दृष्टि से, प्रत्येक के लिए गहन चिंता का विषय रही है।" चर्चा कीजिए और समालोचनात्मक रूप से विश्लेषण कीजिए कि क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 इस सामाजिक खतरे को सफलतापूर्वक काबू में ला सकता है या की नहीं।

PART—II

भाग—II

9. (a) The liability of joint tort-feasors is 'joint and several'. In the light of this statement, discuss who are joint tort-feasors and their liability with the help of illustrations and case law. 25

(b) "In a tort of malicious prosecution the plaintiff must prove among other things, that the defendant was the person who was actively instrument in putting the law in force." Discuss. 25

(क) संयुक्त अपकृत्य-कर्ताओं का दायित्व 'संयुक्त और पृथक' होता है। इस कथन के प्रकाश में, उदाहरणों और केस विधि की सहायता से चर्चा कीजिए कि संयुक्त अपकृत्य-कर्ता कौन होते हैं तथा उनका दायित्व क्या होता है।

(ख) "विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अपकृत्य में, वादी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रतिवादी ही वह व्यक्ति था जो विधि को लागू कराने में सक्रिय रूप से सहायक था।" चर्चा कीजिए।

Downloaded From: http://www.dhyeyaias.com

10. "Foreseability is the effective test — the direct consequence test leads nowhere but to never ending and solvable problems of causation." In the light of this statement examine the law relating to determining liability for the consequences of a tortious act of negligence; refer to case law. 50

"अग्रदृष्टता प्रभावी कसौटी है — प्रत्यक्ष परिणाम कसौटी सिद्धान्त कभी न समाप्त होने वाली एवं जटिल कारकता की समस्याओं को कहीं भी नहीं ले जाती।" इस कथन के प्रकाश में उपेक्षा-अपकृत्य के परिणाम के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने से संबंधित विधि का परीक्षण कीजिए; एवं निर्णीत वादों का हवाला दें।

PART—III

भाग—III

11. (a) "Inadequacy of consideration is immaterial, but its absence is fatal to the validity of a contract." Comment. 25

(b) Write short notes on the following :

(i) Undue Influence 12½

(ii) Wagering Contracts 12½

(क) "प्रतिफल की अपर्याप्तता महत्वहीन है, किन्तु इसकी अनुपस्थिति संविदा की वैधता के लिए घातक है।" टिप्पणी कीजिए।

(ख) निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :

(i) अनुचित प्रभाव

(ii) सट्टेबाजी (वेजरिंग) करार (संविदा)

Downloaded From: http://www.dhyeyaias.com

12. Discuss in detail the meanings of 'complaint' and 'unfair trade practice' under the Consumer Protection Act, 1986. Are these definitions satisfactory and in consonance with the spirit of this Act? 50

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन 'शिकायत' और 'गलतबिंब व्यापार रीति' के मतलबों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। क्या ये परिभाषाएँ संतोषजनक हैं और अधिनियम की भावनाओं के अनुकूल हैं?

* * *

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

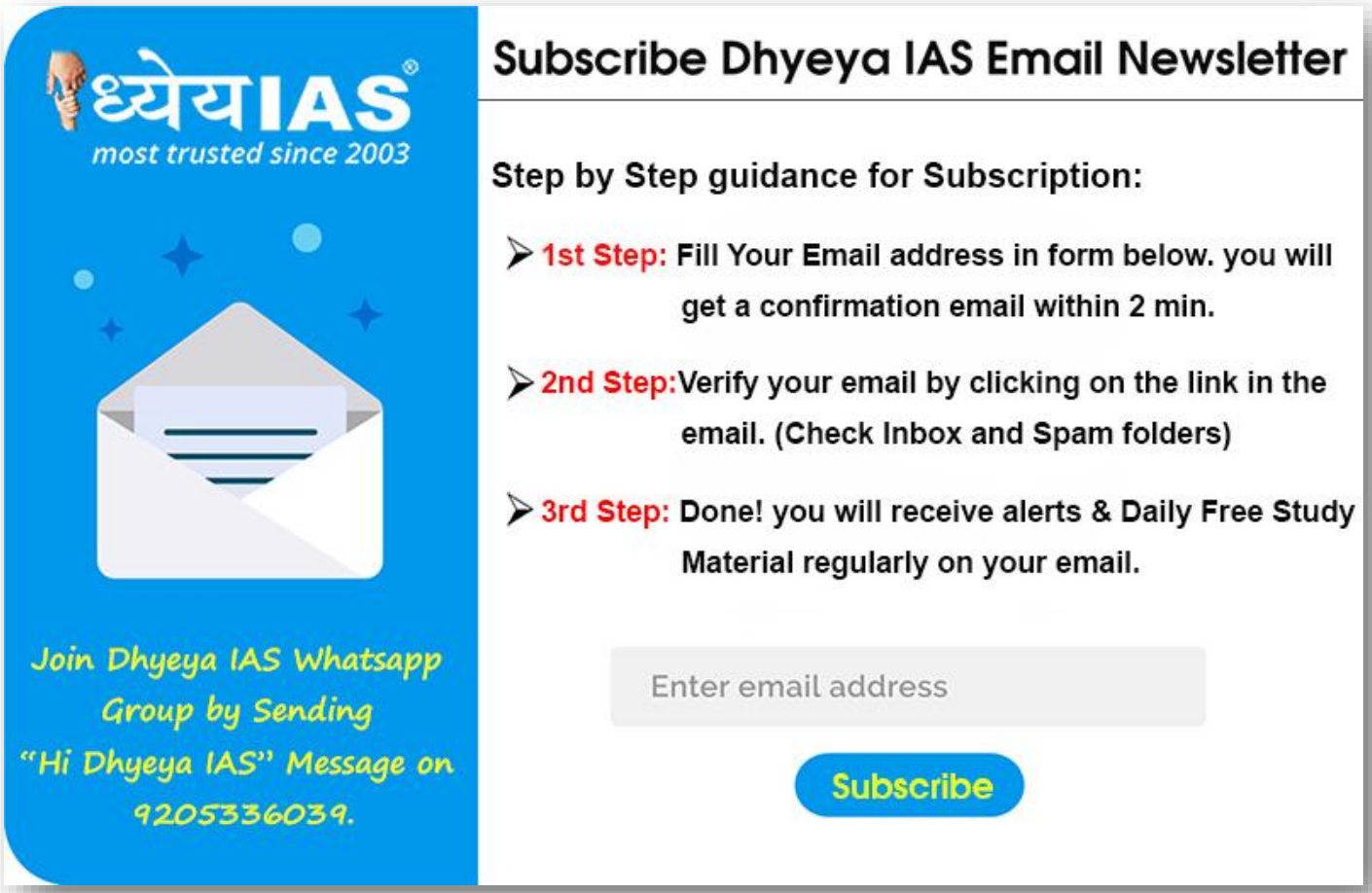

ध्येय IAS
most trusted since 2003
Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9355174442 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें

नोट: अगर आपने हमारा Whatsapp नंबर अपने Contact List में Save नहीं किया तो आपको प्रीतिदिन के मैटेरियल की लिंक प्राप्त नहीं होंगी इसलिए नंबर को Save जरूर करें।

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400